सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः–एफ.41( )15वीं/चतुर्थ सत्र/परावि/2019/717 जयपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2020

1. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
   जिला परिषद, समस्त ।
2. **अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
   जिला परिषद, समस्त ।
3. **विकास अधिकारी,**
   पंचायत समिति, समस्त ।

विषयः– प्रातः 9.30 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक मुख्यालय पर रहने बाबत।

15वीं विधानसभा का ***चतुर्थ सत्र दिनांक 24.01.2020*** से आरम्भ होने जा रहा है। विधानसभा प्रश्न/ध्यानाकर्षण/विशेष उल्लेख प्रस्ताव तथा ***अल्प समय में पर्ची के माध्यम*** से माननीय सदस्यों द्वारा प्रकरण/बिन्दु उठाये जाते है, जिनका उत्तर अविलम्ब दिया जाना होता है। जिनके लिये जिला स्तर तथा ब्लाक स्तर से सूचना लेनी होती है, किन्तु यह देखने में आया है कि संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिये कार्यालय दूरभाष तथा मोबाईल पर सम्पर्क करने पर अधिकारी मिलते नहीं है या मोबाईल क्षैत्र से बाहर का बताया जाता है, जिससे सूचना प्राप्त करने में विलम्ब होता है।

अतः समस्त अधिकारी तथा कर्मचारियों को निर्देश दिये जाते है कि विधानसभा सत्र के दौरान ***सभी प्रातः 9.30 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक आवश्यक रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे*** तथा इस अवधि में किसी भी बैठक या अन्य कार्यक्रमो में भाग नहीं लेंगे। प्रातः 9.30 बजे से प्रातः 11.00 बजे की अवधि में विशेष परिस्थितियो में कार्यालय छोडना आवश्यक हो, तो विभागीय मुख्यालय से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बरतने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसका सर्वोच्च प्राथमिकता से पालन करें।

विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1– विशिष्ठ सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री एवं पंचायतीराज मंत्री महोदय,, जयपुर।
2– निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर
3– निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर ।
4– निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राज. जयपुर।
5– आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग, जयपुर।
6– समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय ।
7– ए.सी.पी. कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

संयुक्त शासन सचिव एवं उपायुक्त (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांकः–एफ.41( )15वीं / चतुर्थ सत्र / पराविं / 2019 / 718 जयपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2020

1. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
   जिला परिषद, समस्त ।
2. **अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
   जिला परिषद, समस्त ।
3. **विकास अधिकारी,**
   पंचायत समिति, समस्त ।

विषयः– 15 वीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र बाबत।

15वीं विधानसभा का ***चतुर्थ सत्र दिनांक 24.01.2020*** से प्रारंभ हो रहा है। आपको निर्देशित किया जाता है कि विधानसभा सचिवालय से प्रश्न / प्रस्ताव प्राप्त होने पर तुरन्त उत्तर / तथ्यात्मक टिप्पणी तथ्यों का पूर्ण परीक्षण कर स्वयं की संतुष्टि के पश्चात् इस विभाग की संबंधित शाखा के ई–मेल के माध्यम से ही भिजवायें।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि विधानसभा सत्र काल के दौरान निम्न हस्ताक्षरकर्ता से पूर्व अवकाश स्वीकृत कराये बिना मुख्यालय नही छोड़ेंगे एवं कार्यालय में उपलब्ध रहेगें। किसी कारण से यदि आप दौरे पर जाते हैं तो इस कार्य के लिए विशिष्ट रूप से किसी अधिकारी को प्राधिकृत करके जावें। आपके दौरे पर होने के कारण यदि आप द्वारा प्राधिकृत अधिकारी मुख्यालय पर नहीं मिलते हैं अथवा प्रश्न / प्रस्ताव के बारे में अनभिज्ञता प्रकट करते हैं अथवा कार्य करने में असमर्थता प्रकट करते हैं तो उस स्थिति में जिम्मेदारी आपकी होगी। सही प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने तथा विलम्ब से प्राप्त होने की जवाबदेही भी आपकी होगी।

आप तत्काल अपने कार्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित करें जो कि प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक कार्य करेगा। आपके द्वारा गठित कन्ट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालयो के कर्मचारियों को निर्देश देंवे कि वे प्रतिदिन विभागीय ई–मेल भी चैक करते रहे तथा विधानसभा की वेबसाईड **http://rajassembly.nic.in** पर विभागीय प्रश्नो में से आपसे संबंधित प्रश्न की प्रति प्राप्त कर उत्तर बनाने की कार्यवाही शीघ्र आरम्भ करावे।

विभाग मुख्यालय में श्री गौरव चतुर्वेदी, संयुक्त शासन सचिव एवं उपायुक्त (द्वितीय) विधानसभा प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी हैं जिनके मोबाईल नम्बर 9414066766 हैं।

विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– विशिष्ठ सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2– निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर
3– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग, सचिवालय, जयपुर ।
4– निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर ।
5– निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राज. जयपुर।
6– आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग, जयपुर।
7– सहायक सचिव, प्रशासनिक सुधार (क–2) विभाग, सचिवालय, जयपुर ।
8– समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय ।
9– ए.सी.पी. कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

संयुक्त शासन सचिव एवं उपायुक्त (द्वितीय)

Scanned by CamScanner